<u>न्यायालय: - सदस्य, प्रथम अति०मो० दु०दा०अधि०बालाघाट</u> श्रृंखाला न्यायालय बैहर

(पीठासीन अधिकारी वाचस्पति मिश्र)

मोटर दुर्घटना दावा क्र.-20/2017

संस्थित दिनांक —27.10.2016 फाईलिंग नंबर—22 / 2017 सी.एन.नंबर—एम.पी. 5005—000060—2017

1— कृष्णाबाई पति स्व० कन्हैया सोनप्यारे आयु ३३ वर्ष

2— अनीताबाई पति लेखराम आयु 50 वर्ष दोनों निवासी—ग्राम मानेगांव तहसील बैहर जिला बालाघाट (म.प्र.) — — — <u>आवेदकगण</u> ।

-// <u>विरुद्ध</u> //-

1— रमावथ गोविंद पिता श्री आर. चेन्दु 37 वर्ष (वाहन चालक) व्यवसाय—टी०एस०आर०टी०सी० ड्राईवर स्टाफ नंबर 221617 का बांधलागुडा (ड्राईवर वाहन कमांक AP11Z6132) H.No.3-20/A, थाका पल्ला पल्ली, याचारम जिला रंगारेड्डी—501509

2— प्रबंधक—गर्वमेन्ट ऑफ तेलंगाना ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेन्ट बी0सी0 एवं एम0डी0टी0एस0आर0टी0सी0, हयात नगर जिला रंगारेड्डी—501509 — — — <u>अनावेदकगण</u>

आवेदिकागण द्वारा श्री चित्रेश बहादुर श्रीवास्तव अधिवक्ता । अनावेदक कृमांक 1, 2 द्वारा श्री श्याम बसंल अधिवक्ता।

__/ अ वा र्ड / / क्रें (<u>आज दिनांक 25 जून 2018 को पारित</u>)

1. आवेदिकागण ने यह मोटर दुर्घटना दावा दिनांक 17.04.2016 को दोपहर करीब 04:30 बजे मैथरी वामन बस स्टैण्ड अंतर्गत थाना संजीव रेड्डी नगर जिला रंगारेड्डी तेलंगाना राज्य के पास आर.टी.सी. बस क्रमांक A.P. 11- Z- 6132 द्वारा दुर्घटना कारित किए जाने से कन्हैया की मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप प्रतिकर राशि प्राप्त करने हेतु अनावेदकगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया है।

- 2. आवेदन पत्र का संक्षिप्त सार यह है कि मृतक कन्हैया 35 वर्षीय हष्ट—पुष्ट युवक होकर स्वयं की कृषि से 1,00,000 / —रूपए वार्षिक एवं मजदूरी कर 10,000 / —रूपए मासिक आय अर्जित कर स्वयं तथा परिवार का पालन—पोषण करता था। घटना दिनांक 17.04.2016 को दोपहर करीब 04:30 बजे मैथरी वामन बस स्टैण्ड अंतर्गत थाना संजीव रेड्डी नगर लोकमार्ग पर यान आर0टी0सी0 बस कमांक A.P. 11 Z- 6132 पर बोर्ड कर रहा था तभी उक्त वाहन के चालक अनावेदक कमांक 1 द्वारा वाहन को लापरवाहीपूर्वक ढंग से यान चालित कर बस मृतक कन्हैया के उपर से चढ़ा दिया जिससे कन्हैया की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। घटना की रिपोर्ट थाना संजीव रेड्डी नगर में अपराध कमांक 258 / 2016 दर्ज की कराई गई जिसके तहत अनावेदक कमांक 1 के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण कमांक 1116 / 2016 हैदराबाद न्यायालय में लंबित है।
- 3. आवेदिका क्रमांक 1 कृष्णाबाई उम्र 33 वर्ष मृतक कन्हैया की विवाहिता पत्नि है एवं आवेदिका क्रमांक 2 अनीताबाई उम्र 50 वर्ष माता है। दुर्घटना के समय उक्त वाहन का चालक रमावथ गोविंद अनावेदक क्रमांक 1 था तथा वाहन गर्वमेन्ट ऑफ तेलंगाना ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेन्ट रंगारेड्डी में पंजीकृत था। मृतक कृषि कार्य कर 1,00,000/—रूपए वार्षिक एवं मजदूरी कार्य कर 10,000/—रूपए प्रतिमाह आय अर्जित करता था। मृतक की मृत्यु हो जाने से भविष्य में होने वाली आय की क्षति 15,00,000/—, शारीरिक व मानसिक क्षति के पेटे 40,0000/—, अंतिम संस्कार व तेरहवीं के मद में 1,00,000/— इस प्रकार कुल 20,00,000/—रू. राशि पाने के लिये दावा पेश किया है। साथ ही 12 प्रतिशत ब्याज दिलाए जाने और अन्य अनुतोष की याचना की है।
- 4. अनावेदक क्रमांक 1 एवं 2 ने संयुक्त उत्तर पेश कर आवेदन पत्र के संपूर्ण अभिकथनों को अस्वीकार किया है। घटना दिनांक 17.04.2016 को मृतक कन्हैया की आर0टी०सी0 बस क्रमांक ए.पी. 11 जेड. 6132 के चालक

द्वारा लापरवाहीपूर्वक वाहन चालित कर, गिरकर मृत्यु कारित किए जाने से इंकार किया है। मृतक की आय प्रतिदिन 500 / —रूपए होकर 15,000 / —रूपए मासिक होना इंकार किया है। विशिष्ट कथन करते हुए यह आधार लिया गया है कि घटना दिनांक 17.04.2016 को मृतक कन्हैया बस में चढ़ रहा था, संतुलन खो जाने के कारण उसी की लापरवाही से दुर्घटना कारित हुई है। उक्त दुर्घटना के लिये अनावेदक क्रमांक 1 व 2 दायित्वाधीन नहीं है। आवेदक द्वारा बढ़ा—चढ़ाकर असत्य आधार पर प्रतिकर राशि प्राप्त करने के लिए दावा पेश किया गया है। आवेदिकागण 20,00,000 / —रूपए की प्रतिकर राशि अदा करने के दायित्व से इंकार किया है। उक्त दावे से अनावेदक क्रमांक 1 व 2 को मुक्त किए जाने की याचना की है।

दावे के निराकरण के लिए निम्नानुसार वाद प्रश्न निर्मित किए गए है :-

h		
क.	वादप्रश्न	निष्कर्ष
1.	क्या दिनांक 17.04.2016 को दोपहर 04:30 बजे अंतर्गत थाना संजीव रेड्डी नगर हैदराबाद लोकामार्ग पर अना.क. 1 द्वारा बस क्रमांक AP 11 Z 6132 को उपेक्षापूर्ण ढंग से चलाकर कन्हैया को टक्कर मारकर मृत्यु कारित की ?	हॉ
	क्या उक्त दिनांक को दुर्घटना में अंतरवलित वाहन का पंजीकृत स्वामी अनावेदक क्रमांक 2 है ?	ξĬ
3.	क्या उक्त दुर्घटना मृतक कन्हैया की लापरवाही एवं गलती के कारण घटित हुई है ?	सिद्ध नहीं।
4.	क्या आवेदिकागण, अनावेदकगण से प्रतिकर राशि 20,00,000 /—(बीस लाख) रूपए तथा आवेदन दिनांक से भुगतान दिनांक तक 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज प्राप्त करने की अधिकारी है ?	अवार्ड की कंडिका 13 & A,B के अनुसार राशि 7,90,0000 / — की सीमा तक देय।

	XI ES		
5.	सहायता एवं व्यय ?	दावा आंशिक रूप से	
	est later	स्वीकृत।	

वादप्रश्न कमांक 1, 2 एवं 3 का निष्कर्ष :-

- 5. कृष्णाबाई (आ.सा. 1) ने व्यक्त किया है कि घटना दिनांक 17.04. 2016 को दिन के 04:30 बजे मृतक अन्य मजदूर साथी के साथ मैथरी वामन बस स्टैण्ड में बस में चढ़ रहा था। उक्त समय पर आर.टी.सी. बस क्रमांक ए.पी. 11 जेड. 6132 के चालक ने उक्त समय बस को लापरवाहीपूर्वक ढंग से बस चालित कर मृतक के ऊपर चढ़ा दिया जिससे उसके पित मृतक कन्हैया की मृत्यु हो गई। साक्षी ने दुर्घटना से संबंधित थाना संजीव रेड्डी नगर के अपराध क्रमांक 258/2016 के दस्तावेज अंतिम रिपोर्ट प्रदर्श ए—2, शव परीक्षण आवेदन प्रदर्श ए—3, शव परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श ए— 4, वाहन परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श ए—5, इंक्वेस्ट रिपोर्ट प्रदर्श ए—6 एवं वाहन का रिजस्ट्रेशन एवं चालक का ड्राईविंग लाईसेंस अभिलेख पर प्रस्तुत किया है।
- 6. साक्षी ने जिरह में स्पष्ट किया है कि दुर्घटना के समय वह मौके पर मौजूद नहीं थी। यह भी स्पष्ट किया है कि दुर्घटना के संबंध में महेन्द्र कवरी के द्वारा उसे सूचना मिली थी। यह भी स्पष्ट किया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट महेन्द्र के द्वारा ही लेख कराई गई थी। उक्त दुर्घटना में मृतक कन्हैया की मृत्यु होने की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श—ए. 4 से होती है।
- 7. इसके विपरीत आर. गोविंद (अना.क. 1—वाहन चालक) के बयान में आया है कि आर.टी.सी. बस कमांक ए.पी. 11 जेड. 6132 का चालक था। साक्षी ने मुख्य परीक्षण में व्यक्त किया है कि दिनांक 17.04.2016 को करीब 03:30 बजे मैथरी वामन बस स्ट्रेण्ड से कंडेक्टर द्वारा सीटी बजाने पर धीरे—धीरे

निकाल रहा था। यह भी आया है कि उक्त समय उसकी बस में मिडिल डोर से दो यात्री चढ़ रहे थे। यह भी व्यक्त किया है कि उक्त दुर्घटना उक्त यात्री की गलती एवं लापरवाही से घटित हुई थी। अनावेदक चालक ने जिरह में यह स्पष्ट किया है कि जब उसने उक्त बस को आगे बढ़ाया उक्त समय उक्त बस में दो व्यक्ति चढ़ रहे थे। जिरह के पैरा ७ में यह स्वीकार किया है कि जैसे ही दूसरा व्यक्ति बस पर चढ़ने लगा उसने उक्त यान / बस को आगे बढ़ा दिया अर्थात् अनावेदक चालक के बयान में यह आया है कि दुर्घटनास्थल उक्त बस पर दो यात्रियों के बोर्डिंग के समय उसके द्वारा उक्त वाहन को लापरवाहीपूर्वक ढंग से आगे बढ़ाया गया। अनावेदक चालक ने जिरह में स्पष्ट किया है कि उसने उक्त व्यक्तियों को बस पर बोर्ड (चढ़ते) करते हुए देखा था। यह भी स्वीकार किया है कि उसके विरुद्ध हैदराबाद न्यायालय में आर.टी.ए. का प्रकरण भी विचाराधीन है।

- 8. अनावेदक राज्य की और से विद्वान अभिभाषक ने यह तर्क किया है कि उक्त दुर्घटना मृतक की योगदायी उपेक्षा के कारण घटित है लेकिन अनावेदक पक्ष द्वारा तत्संबंध में कोई पॉजीटिव साक्ष्य अभिलेख पर नहीं लाई है। उक्त तथ्य अनावेदक के विरूद्ध जाता है। विधि यह है कि दुर्घटना के संबंध में मृतक अथवा उक्त यान का चालक ही सर्वोत्तम साक्षी होता है। उक्त संबंध न्यायदृष्टातं :-नागेश्वर बनाम राज्य ए.आई.आर.1973 (सु.को.) 165 अवलोकनीय है।
- 9. अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक ने यह तर्क किया है कि प्रस्तुत प्रकरण में आवेदिका याचिकाकर्ता ने अधिनियम के अधीन दुर्घटना दिनांक को आक्षेपित वाहन अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा लापरवाहीपूर्ण ढंग से चलाए जाने के संबंध में प्रमाण भार डिस्चार्ज नहीं किया है। तर्क की संपुष्टि में न्यायदृष्टांत :— Maimuna Bibi & Ors. Vs. Guru Prasad Jaiswal & Anr.

MOTOR VEHICLES ACT, 1988 2012 (II) MPJR-CG 88, Surinder Kumar Arora & Anr. Vs. Dr. Manoj Bisla & Ors. AIR 2012 SUPREME COURT 1918 प्रस्तुत किया है।

- 10. अनावेदक पक्ष से प्रस्तुत उक्त तर्क से यह अधिकरण सहमत नहीं है। चूंकि अनावेदक यान चालक आर. गोविंद ने जिरह में यह स्वीकार किया है कि उसके द्वारा दुर्घटना दिनांक को आहत यात्री के यान पर चढ़ते समय (बोर्डिंग) यान क्रमांक ए.पी. 11 जेड. 6132 को आगे बढ़ाया गया था।
- 11. अभिलेख से यह दर्शित है कि उक्त यान आर0टी0सी0 बस कमांक A.P.11 Z.-6132 तेलंगाना राज्य द्वारा पंजीकृत है एवं अनावेदक कमांक 1 उक्त बस का राज्य की ओर से नियोजित चालक था।
- 12. अतः निष्कर्ष यह है कि घटना दिनांक 17.04.10.2016 को अनावेदक कमांक 2 गर्वमेन्ट ऑफ तेलंगाना ट्रांसपोर्ट विभाग में पंजीकृत यान आर0टी0सी0 बस कमांक A.P.11 Z.-6132 के चालक अनावेदक कमांक 1 द्वारा लापरवाहीपर्वूक ढंग से वाहन का चालन करने के फलस्वरूप उक्त दुर्घटना घटित होने से कन्हैया की मृत्यु दुर्घटना में आई फेटल इंजूरी से होने का तथ्य प्रमाणित पाया जाता है। उक्तानुसार वादप्रश्न कमांक 1, 2 एवं 3 निराकृत किया जाता है।

वादप्रश्न कमांक 4 का निष्कर्ष :-

13. कृष्णाबाई (आ.सा. 1) ने व्यक्त किया है कि दुर्घटना के पूर्व मृतक कन्हैया 10,000 / —(दस हजार) रूपए मासिक आय प्राप्त करता था। तत्संबंध आवेदिका द्वारा कोई दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः दुर्घटना के पूर्व मृतक न्यूनतम वेतन अधिनियम के अनुसार 6,000 / —रूपए मासिक आय अर्जन किया जाना न्यायसंगत पाया जाता है। उक्त आधार पर गणना करने पर वार्षिक आय की क्षति 72,000 / — रूपए निकलती है। न्यायदृष्टांत :— "सरला वर्मा बनाम देहली ट्रान्सपोर्ट कार्पोरेशन 2009 (4) एम. पी.एच.टी. 99" (सु.को.) के अनुसार मृतक द्वारा एक—तिहाई राशि स्वयं

पर व्यय करता होगा। इस प्रकार उक्त राशि कम करने पर वार्षिक क्षिति 48,000/— निकलती है। शव परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श ए—4 में मृतक कन्हैया की आयु 35 वर्ष लेख है। अतः मृतक की आयु 35—40 आयु वर्ग में मान्य करते हुए "सरला वर्मा बनाम देहली ट्रान्सपोर्ट कार्पोरेशन 2009 (4) एम. पी.एच.टी. 99" (सु.को.) के अनुसार 15 का गुणांक अपनाया जाना न्यायसंगत है। इस प्रकार गणना करने पर 48000 X 15 =7,20,000/- क्षिति निर्धारित की जाती है तथा अंतिम संस्कार के मद में 15,000/-, संपदा की हानि के मद में 15,000/-, साहचर्य के मद में 40,000/- इस प्रकार कुल क्षित (720000+15000+15000+40000) =7,90,000/- (सात लाख नब्बे हजार) रूपए निकलती है जो कि Just Compensation की श्रेणी में आती है। उक्तानुसार वादप्रश्न कमांक 04 निराकृत किया जाता है। मेरे द्वारा उपर्युक्त प्रतिकर राशि निर्धारण में न्यायदृष्टांत:— प्रणय शेट्ठी, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय दिनांक 31 अक्टूबर 2017 का अवलम्ब लिया गया है।

- 14. अतः अनावेदक क्रमांक 1 एवं 2 उक्त अवार्ड राशि आवेदिकागण को संयुक्ततः एवं पृथकतः अदा करेगें अथवा अनावेदक क्रमांक 2 गर्वमेन्ट ऑफ तेलंगाना राज्य उक्त अवार्ड राशि 7,90,000/— (सात लाख नब्बे हजार) रूपए प्राथमिकता के आधार पर आवेदिकागण/याचिकाकर्ता के पक्ष में अदा किए जाने हेतु दायित्वाधीन घोषित किया जाता है।
- 15. आवेदिका क्रमांक 1 कृष्णाबाई विधवा कन्हैया उक्त अवार्ड राशि में से 80 प्रतिशत राशि प्राप्त करने की अधिकारी है एवं आवेदिका क्रमांक 2 अनीताबाई माता उक्त अवार्ड राशि में 20 प्रतिशत राशि प्राप्त करने की अधिकारिणी है।

16. आवेदिका कमांक 1 कृष्णाबाई को प्राप्त होने वाली राशि (790000 X 80 %) = 6,32,000/- (छः लाख बत्तीस हजार) रूपए में से 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) रूपये एकाउंट पेयी चेक के माध्यम से प्राप्त करने की अधिकारी होगी तथा शेष राशि 4,82,000/- (चार लाख बयासी हजार) रूपए 05 वर्ष की अविध तक के लिये किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में फिक्स डिपॉजिट की जावेगी, जिस पर वह त्रैमासिक ब्याज आवश्यक खर्च हेतु प्राप्त करेगी। इसी प्रकार आवेदिका कमांक 2 अनीताबाई को प्राप्त होने वाली राशि (790000 X 20 %) = 1,58,000/- (एक लाख अंडावन हजार) रूपए में से 50,000/- (पचास हजार) रूपये एकाउंट पेयी चेक के माध्यम से प्राप्त करने की अधिकारी होगी तथा शेष राशि 1,08,000/- (एक लाख आठ हजार) रूपए 03 वर्ष की अविध तक के लिये किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में फिक्स डिपॉजिट की जावेगी, जिस पर वह त्रैमासिक ब्याज आवश्यक खर्च हेतु प्राप्त करेगी। उक्तानुसार आवेदिकागण/याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत मोटर दुर्घटना दावा क्रमांक 20/2017 आंशिक रूप से उक्तानुसार स्वीकार किया जाता है :--

सहायता एवं व्यय

- (A) आवेदिका क्रमांक 1 कृष्णाबाई पित स्वर्गीय कन्हैया सोनप्यारें को प्राप्त होने वाली अवार्ड राशि 6,32,000 /— (छः लाख बत्तीस हजार) रूपए में से 1,50,000 /— (एक लाख पचास हजार) रूपए एकाउंट पेयी चेक के माध्यम से प्राप्त करने की अधिकारी है तथा शेष राशि 4,82,000 /—(चार लाख बयासी हजार रूपए) किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में फिक्स डिपॉजिट किया जावे जिस पर वह त्रै—मासिक ब्याज अपने जीवन निर्वाह हेतु प्राप्त करेगी।
- (B) आवेदिका कमांक 2 अनीताबाई को प्राप्त होने वाली अवार्ड राशि 1,58,000 /— (एक लाख अंडावन हजार) रूपए में से 50,000 /— रूपए (पचास हजार) रूपए एकाउंट पेयी चेक के माध्यम से प्राप्त करने की अधिकारी है तथा शेष राशि 1,08,000 /—(एक लाख आड हजार रूपए) किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में फिक्स डिपॉजिट किया जावे जिस पर वह त्रै—मासिक ब्याज अपने जीवन निर्वाह हेतु प्राप्त करेगी।

- (C) उक्त अवार्ड राशि प्राथमिकता के आधार पर अनावेदक कमांक 2 तेलंगाना राज्य आवेदिकागण / याचिकाकर्ता को अदा करेगा।
- (D) आवेदिकागण उक्त प्रतिकर राशि पर आवेदन प्रस्तुति दिनांक से राशि अदाएगी तक 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित अनावेदक क्रमांक 2 गर्वमेंट ऑफ तेलंगाना ट्रांसपोर्ट राज्य से पाने की भी पात्र है।
 - (E) तद्नुसार व्यय तालिका निर्मित की जावे।
 - (F) अधिवक्ता शुल्क प्रमाण पत्र पेश होने पर नियमानुसार देय हो।

मेरे डिक्टेशन पर मुद्रित।

अवार्ड हस्ताक्षरित व दिनांकित कर खुले न्यायालय में पारित किया गया।

दिनोंक :- 25 जून 2018

Sd/-(वाचस्पति मिश्र)

सदस्य प्र0अति0मो0दु0दा0अधि0 बालाघाट श्रृंखला न्यायालय बैहर

–ः व्यय तालिका ::–

क	विवरण 🦟	आवेदकगण	अना.क.1, 2
1.	वाद पत्र पर शुल्क 🎺	20-00	-
2.	आवेदन पत्र पर शुल्क	-	
3.	वकालतनामा पर शुल्क	10-00	10-00
4.	दस्तावेज पर शुल्क	-	AN TON
5.	अधिवक्ता फीस (प्रमाण पत्र पेश नहीं)	-	-Sta Star.
6.	आदेशिका शुल्क व अन्य	-4	30-00
	योग –	30-00	40-00

Sd/-(वाचस्पति मिश्र) सदस्य

प्र0अति0मो0दु0दा0अधि0 बालाघाट श्रृंखला न्यायालय बैहर